



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 458 राँची, सोमवार 24 भाद्र 1936 (श०)
15 सितम्बर, 2014 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर, 2014

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2014

संख्या-परि०वि०-174/09-979--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के नियम-26 में अंकित प्रावधान के आलोक में नियम-11 के प्रावधान "आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन-आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा" को निम्न प्रकार संशोधित करते हैं -

“नियम-11 - आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन-आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।”

2. उक्त नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,

सचिव,

परिवहन विभाग।
